भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. † 1758

उत्तर देने की तारीख 02.03.2020

वन धन केन्द्र चरण- II योजना

†1758. प्रो॰ अच्युतानंद सामंतः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वन धन केंन्द्रों को स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा आज तक स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या का ब्यौरा क्या है और इन केंद्रों को स्थापित करने के लिए राज्य-वार कितनी निधि वितरित की गई है;

(ख) क्या सरकार ने इन केंद्रों में से किसी केंद्र को अच्छा प्रदर्शन करने वाले केंद्र के रूप में चिह्नित किया है जिसे योजना के चरण- II में पक्की सुविधओं में परिवर्तित किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा केंद्रों को पक्की सुविधा प्रदान करने हेतु किन मानदंडों, मानकों और प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) वन धन केंद्रों (वीडीवीके) की संख्या और राज्य सरकारों को इन केंन्द्रों के स्थापनार्थ स्वीकृत की गई राशि का ब्यौरा **अनुलग्नक** पर दिया गया है।

(ख) वर्तमान में, वन धन केंद्र (वीडीवीके) स्थापित किए जा रहे हैं और उनके संचालन शुरू हो गया है। वीडीवीके द्वारा व्यवसाय चक्र के छह महीने सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद इसका मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद सफल वीडीवीके को पक्के केंद्र में बदल दिया जाएगा। आज तक, किसी भी केंद्र की पहचान अच्छे प्रदर्शन वाले केंद्र के रूप में नहीं हुई है।

(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन व्यवस्था की स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार, संबंधित जिला स्तर समन्वय और निगरानी समिति द्वारा संबंधित केंद्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। समिति (डीएलसीएमसी) और राज्य स्तरीय समन्वय और निगरानी समिति (एसएलसीएमसी) द्वारा अंतिम रूप दिया गया। मूल्यांकन के आधार पर, जिला कलेक्टर पक्के केंद्र की मंजूरी के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। ट्राइफेड प्रस्ताव की जांच और अनुमोदन करेगा और एक बार अनुमोदित होने के बाद , पक्के केंद्र के लिए सीधे जिला पंचायत को धन जारी किया जाएगा।

अनुलग्नक

'वन धन केन्द्र चरण- II योजना' के संबंध में दिनांक 02.03.2020 को श्री अच्युतानंद सामंत द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1758 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण

राज्य	वन धन विकास केन्द्र की स्वीकृत संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रुपए में)
आंध्र प्रदेश	75	1064
असम	27	405
बिहार	8	81.50
छत्तीसगढ़	139	2085
गोवा	1	15
गुजरात	38	569.35
झारखंड	39	569.7
कर्नाटक	19	285
केरल	13	195
मध्य प्रदेश	86	1290
महाराष्ट्र	64	960
मणिपुर	77	1155
मिजोरम	44	581.55
नागालैंड	71	1065.00
ओडिशा	156	2269.25
राजस्थान	25	372.2
तमिलनाडु	7	105
तेलंगाना	17	255
त्रिपुरा	17	226.25
उत्तर प्रदेश	5	59.55
कुल	**928**	**13608.35**

*****